

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 283/92

संस्थित दि.: 25/03/92

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

1. जियालाल पिता मोलू, उम्र 25 साल, जाति मोची,

साकिन मोहगांव तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) (पूर्व निर्णित)

2. भूरू उर्फ अमीलाल पिता समेलाल सतनामी, उम्र 61 साल,

साकिन रेहवाही थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

हाल मुकाम देवपुरा थाना सालहेवाड़ा जिला छतीसगढ़..... आरोपीगण

—:: **निर्णय** ::—

(दिनांक 24/02/2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी भूरू उर्फ अमीलाल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/34 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 05.02.92 रात्रि के करीब 01:00 बजे स्थान बड़गांव थाना बिरसा में अधिकार क्षेत्र में फरियादी हीरालाल के आधिपत्य के दो बोदे कीमती 2000/- को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हीरालाल ने दिनांक 05.02.1992 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि उसने दिनांक 04.02.1992 को बोदे आंगन में बांधकर रात में 09:00 बजे वह सो गया था रात्रि के 01:00 बजे के लगभग उसके दो बोदे चोर चोरी करके ले जा

रहे थे। वह चिल्लाया तो सददूसिंह, घोंघासिंह आदि लोग दौड़कर आये। आरोपी जियालाल को बोदा सहित पकड़ लिया दूसरा आरोपी भूरू उर्फ अमीलाल भाग गया। उसकी तलाश भी किया किन्तु वह नहीं मिला। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24/92 अन्तर्गत धारा 379, 34 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/34 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने फरियादी से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर एवं झूठी विवेचना कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी भूरू उर्फ अमीलाल ने दिनांक 05.02.92 रात्रि के करीब 01:00 बजे स्थान बड़गांव थाना बिरसा में अधिकार क्षेत्र में फरियादी हीरालाल के आधिपत्य के दो बोदे कीमती 2000/- को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी/फरियादी हीरालाल (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 23 साल पुरानी उसके घर से बोदा चोरी हो गये थे। आरोपी जियालाल उसके घर से भैस के बोदे रात्रि के 12:00 बजे ले जा रहा था वह चिल्लाया तो घोंघासिंह और बुद्धुसिंह आये उन्होंने जियालाल को बोदा चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद जियालाल को पकड़ कर थाने ले गये थे और घटना की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसे उसका चोरी हुआ बोदा सुपुर्दनामा पर

दिया था सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-03 है।

(07) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रामलाल (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 29.02.1992 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये अपराध क्रमांक 24/92 की केश डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी हीरासिंह, बुद्धसिंह, घोंघासिंह, छोटेलाल, छोटेलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेबबद्ध किये थे। घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था।

(08) अभियोजन साक्षी बुद्धसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 22 वर्ष पुरानी रात्रि के 12-01:00 हीरालाल के घर की है। हीरालाल के घर में से उसका बोदा चोरी हो गया था। हीरालाल चिल्लाया तो वह दौड़ते हुये गया था जियालाल को पकड़ लिया था। जियालाल को पकड़कर थाने ले गये थे और घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। किन्तु न्यायालय द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने दूसरे व्यक्ति की जानकारी नहीं होना बताया।

(09) अभियोजन साक्षी घोंघासिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 26-27 साल पुरानी रात्रि के 12-01:00 बजे हीरालाल के घर से चोर उसका बोदा चोरी करके ले जा रहे थे तो हीरालाल ने चिल्लाया तो उसने और बुद्धसिंह ने दौड़कर आरोपी जियालाल को पकड़ लिया था। आरोपी जियालाल को पकड़ कर थाने ले गये थे और घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। किन्तु न्यायालय द्वारा साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने दूसरे व्यक्ति की जानकारी नहीं होना बताया।

(10) अभियोजन साक्षी छोटेलाल (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 30-32 साल पुरानी है। उसे पता चला कि चोर बोदा को चुराकर ले जा रहे थे जिसमें एक आदमी को पकड़ लिये थे और दूसरा भाग गया था जिस आदमी को बोदा सहित पकड़े थे उसका नाम जियालाल होना बताया था। उन्होंने आरोपी जियालाल से भांगने वाली आरोपी का नाम पूछने पर आरोपी जियालाल ने भांगने वाले आरोपी का नाम भूरू उर्फ अमीलाल होना बताया था। आरोपी जियालाल से उन्होंने पूछा कि बोदा कहा ले जा रहे थे तो आरोपी जियालाल ने बताया कि बोदा

को काटने के लिये ले जा रहे है। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था।

(11) अभियोजन साक्षी चन्द्रभान (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 20 वर्ष पुरानी है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने कोई मौका नक्शा तैयार नहीं किया था किन्तु मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 पर उसको हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 उसके समक्ष तैयार किया था।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादी ने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराकर आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। न्यायालय द्वारा साक्षी बुद्धसिंह (अ.सा. 1) एवं घोंघासिंह (अ.सा. 3) से एवं अभियोजन द्वारा साक्षी चन्द्रभान (अ.सा. 5) से सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षी बुद्धसिंह (अ.सा. 1), हीरालाल (अ.सा. 2), घोंघासिंह (अ.सा. 3), छोटेलाल (अ.सा. 4) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी/फरियादी हीरालाल (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 23 साल पुरानी उसके घर से बोदा चोरी हो गया था। रात्रि के करीब 12:00 बजे आरोपी जियालाल उसके घर से भैस के बोदे ले जा रहा था वह चिल्लाया तो घोंघासिंह और बुद्धसिंह आये उन्होंने जियालाल को बोदा चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद जियालाल को पकड़ कर थाने ले गये थे और घटना की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी और उसने घटना के संबंध में पुलिस को बताया था। पुलिस ने उसे उसका

चोरी हुआ बोदा सुपुर्दनामा पर दिया था उक्त सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-03 है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी जियालाल के अलावा और किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा था। उसने आरोपी जियालाल द्वारा बोदा चोरी किया यह बताया था। इसके अलावा कुछ नहीं लिखवाया।

(15) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रामलाल (अ.सा.) का कहना है कि उसने दिनांक 29.02.1992 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये अपराध क्रमांक 24/92 की केश डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी हीरासिंह, बुद्धुसिंह, घोंघासिंह, छोटेलाल, छोटेलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेबबद्ध किये थे। घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था।

(16) अभियोजन साक्षी बुद्धुसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 22 वर्ष पुरानी रात्रि के 12-01:00 हीरालाल के घर की है। हीरालाल के घर में से उसका बोदा चोरी हो गया था। हीरालाल चिल्लाया तो वह दौड़ते हुये गया था जियालाल को पकड़ लिया था। जियालाल को पकड़कर थाने ले गये थे और घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। किन्तु न्यायालय द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने दूसरे व्यक्ति की जानकारी नहीं होना बताया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि मौके पर आरोपी जियालाल को ही पकड़ा था उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था।

(17) अभियोजन साक्षी घोंघासिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 26-27 साल पुरानी रात्रि के 12-01:00 बजे हीरालाल के घर से चोर उसका बोदा चोरी करके ले जा रहे थे तो हीरालाल ने चिल्लाया तो उसने और बुद्धुसिंह ने दौड़कर आरोपी जियालाल को पकड़ लिया था। आरोपी जियालाल को पकड़ कर थाने ले गये थे और घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। किन्तु न्यायालय द्वारा साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने दूसरे व्यक्ति की जानकारी नहीं होना बताया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि मौके पर आरोपी जियालाल को ही पकड़ा था उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था।

(18) अभियोजन साक्षी छोटेलाल (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 30-32 साल पुरानी है। उसे पता चला कि चोर बोदा को चुराकर ले जा रहे थे जिसमें एक आदमी को पकड़ लिये थे और दूसरा भाग गया था जिस आदमी को बोदा सहित पकड़े थे उसका नाम जियालाल होना बताया था। उन्होंने आरोपी जियालाल से भांगने वाली आरोपी का नाम पूछने पर आरोपी जियालाल ने भांगने वाले आरोपी का नाम भूरू उर्फ अमीलाल होना बताया था। आरोपी जियालाल से उन्होंने पूछा कि बोदा कहा ले जा रहे थे तो आरोपी जियालाल ने बताया कि बोदा को काटने के लिये ले जा रहे हैं। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह घटना लोगों ने जो बताई वहीं बता रहा है। लोगों ने सिर्फ आरोपी जियालाल को पकड़ा था। प्रदर्श पी-02 के घटनास्थल के मौका नक्शा पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। घटना के भूरू नाम का व्यक्ति शामिल नहीं था।

(19) अभियोजन साक्षी चन्द्रभान (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 20 वर्ष पुरानी है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने कोई मौका नक्शा तैयार नहीं किया था किन्तु मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 पर उसको हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 उसके समक्ष तैयार किया था।

(20) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता रामलाल (अ.सा. 6) के कथनों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी बुद्धुसिंह (अ.सा. 1) हीरालाल (अ.सा. 2), घोंघासिंह (अ.सा. 3), छोटेलाल (अ.सा. 4) एवं चन्द्रभान (अ.सा. 5) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। न्यायालय द्वारा साक्षी बुद्धुसिंह (अ.सा. 1) व घोंघासिंह (अ.सा. 3) से एवं अभियोजन द्वारा साक्षी चन्द्रभान (अ.सा. 5) से सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने से तथा साक्षी हीरालाल (अ.सा. 2) एवं छोटेलाल (अ.सा. 4) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से आरोपी भूरू उर्फ अमीलाल ने

दिनांक 05.02.92 रात्रि के करीब 01:00 बजे स्थान बड़गांव थाना बिरसा में अधिकार क्षेत्र में फरियादी हीरालाल के आधिपत्य के दो बोदे कीमती 2000/- को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से चोरी कारित की। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(21) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी भूर्सु उर्फ अमीलाल ने दिनांक 05.02.92 रात्रि के करीब 01:00 बजे स्थान बड़गांव थाना बिरसा में अधिकार क्षेत्र में फरियादी हीरालाल के आधिपत्य के दो बोदे कीमती 2000/- को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से चोरी कारित की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(22) परिणाम स्वरूप आरोपी भूर्सु उर्फ अमीलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/34 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(23) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(24) प्रकरण में जप्तशुदा बोदे सुपुर्दनामा पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)